बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–25/2020 133 /पटना, दिनांकः– 13/04/2022

कार्यालय आदेश

श्री सुनील कुमार प्रसाद, तत्कालीन सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया के विरूद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में प्रधान मंत्री फसल योजना के तहत भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग के गलत अनुसूची के आँकड़े पंजी में अंकित करने एवं निदेशालय को प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्राप्त अनुसूची के बदले दूसरी अनुसूची भेजने के आरोप के आलोक में गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली–2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–68 सहपठित ज्ञापांक–686 दिनांक–15.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), बेगुसराय को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।

2. श्री सुनील कुमार प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्नांकित आरोप गठित किये गये :–

बेगुसराय जिलान्तर्गत खरीफ वर्ष –2017–18 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई फसल कटनी के प्रयोग में उपज दर की भिन्नता की बात सामने आने पर इस पूरे मामले की जाँच करने हेतु निदेशालय के का०आ०सं०–304 सहपठित ज्ञापांक–1837 दिनांक–12.09.2018 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया । जाँच दल द्वारा दिनांक –31.10.2018 को जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इससे निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं:–

(i) बेगुसराय जिलान्तर्गत खरीफ वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भदई मकई के फसल कटनी प्रयोग के भेजे गये अनुसूची में बछवाड़ा ग्राम के प्लॉट संख्या–170 एवं 998 तथा भगवानपुर ग्राम के प्लॉट संख्या–28 एवं 75 के बीमा कम्पनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र में अंकित मकई के बालों का वजन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को भेजे गये मकई के बालों का वजन में अन्तर पाया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

प्रखंड	ग्राम/थाना संख्या	चयनित प्लॉट	बीमा कम्पनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र पर अंकित कटनी की तिथि एवं मकई के बालों का वजन	जि०सां०पदाधिकारी बेगुसराय के पत्रांक–2114 दिनांक–07.12.17 द्वारा भेजे गये अनुसूची पर अंकित तिथि एवं मकई के बालों का वजन	संबंधित प्र०वि०पदा०/ अंचल अधिकारी के द्वारा जि०सां० पदा० को भेजे गये अनुसूची पर कटनी की तिथि एवं मकई के बालों का वजन	अभ्युक्ति
बछबाड़ा	**बछबाड़ा (41)**	170	27.09.2017	29.07.2017	29.09.2017	अंचलाधिकारी का पत्रांक–1061 दिनांक– 01.11.2017
			8.500 किलोग्राम	2.800 किलोग्राम	9.200 किलोग्राम	
		998	27.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	
			17.450 किलोग्राम	3.600 किलोग्राम	14.000 किलोग्राम	

	भगवानपुर (21)	28	14.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	प्र०वि०पदा० का पत्रांक 2439 दिनांक 30.11.2017
			10.300 किलोग्राम	3.700 किलोग्राम	10.300 किलोग्राम	
		75	14.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	
			12.750 किलोग्राम	3.900 किलोग्राम	12.750 किलोग्राम	

(ii) जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय में फसल कटनी प्रयोग से संबंधित पंजी संधारित है। इन दोनों पंजियों में श्री तारकेश्वर रजक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि की गयी है। उल्लेखनीय है कि पहली पंजी में अंकित सूखा वजन के ऑकड़े से कमतर वजन के आंकडे दूसरे पंजी में अंकित है जो ये पुष्टि करता है कि जिला सांख्यिकी कार्यालय के कर्मी श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं श्री तारकेश्वर रजक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को गैर कानूनी ढंग से मदद किया गया है।

(iii) यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब प्रखंड/अंचल से फसल कटनी की अनुसूची जिला सांख्यिकी कार्यालय में प्राप्त होता है तो उसे निदेशालय भेजने से पहले सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जाँच की जाती है एवं जाँचोपरान्त ही पंजी में दर्ज किया जाता है । पंजी में Over Writing एवं दूसरी पंजी में पुनः संधारित करना सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा भारी अनियमितता एवं व्यक्ति विशेष से मिलीभगत एवं सांठ–गांठ की पुष्टि करता है।

(iv) निदेशालय के पत्रांक–87 दिनांक–19.01.2018, पत्रांक–163 दिनांक–09.02.2018, पत्रांक–219 दिनांक–27.02.2018 एवं पत्रांक–564 दिनांक–18.06.2018 द्वारा उपजदर की भिन्नता एवं भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड, पटना (A.I.C) की आपत्ति की जाँच एवं निराकरण करने के लिए जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को लिखते हुए प्रतिलिपि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दी गई। जिला सांख्यिकी कार्यालय में संधारित संचिका संख्या–कृषि–61/2017 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सभी पत्र जिला पदाधिकारी से पृष्ठांकित होकर जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। किन्तु वे सभी पत्र संचिका में यथावत रखा गया है। कनीय सांख्यिकी सहायक श्री तारकेश्वर रजक एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी श्री सुनील कुमार प्रसाद द्वारा संचिका न तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपस्थापित किया गया और न ही तत्कालीन जिला संख्यिकी पदाधिकारी द्वारा कोई पहल की गई। परिणाम स्वरूप इस पर आवश्यक जाँच जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकी।

(v) श्री तारकेश्वर रजक, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने, पंजी में छेड़–छाड़ करने, ओवर राईटिंग करने, कमतर उपज अंकित करने, किसी भी पत्र पर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित नहीं करने, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलअधिकारी से प्राप्त अनुसूची को निदेशालय नहीं भेजकर दूसरी अनुसूची भेजने के लिए पूर्णतः दोषी हैं।

श्री सुनील कुमार प्रसाद का यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) का उल्लंघन है तथा इसके लिए ये दोषी हैं।

3. श्री सुनील कुमार प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक–1792/रा० दिनांक–26.04.2021 द्वारा श्री सुनील कुमार प्रसाद के

विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपने संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया गया है:–

प्रपत्र 'क' में गठित आरोप, आरोपी कर्मी श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय का स्पष्टीकरण एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी– सह–उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/मंतव्य एवं बयान और साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि फसल कटनी से संबंधित संचिका में कटिंग/ ओवर राईटिंग की गयी एवं नया पंजी संधारित किय गया जबकि आरोपी कर्मी का मुख्य दायित्व फसल कटनी प्रयोग के आंकड़ों का सही–सही मिलान कर रजिस्टर आदि में संधारित करवाना तथा सही आंकड़े निदेशालय को प्रेषित करवाना था किन्तु उन्होंने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही किया है।

अतः आरोपी कर्मी के विरूद्ध आंशिक आरोप प्रमाणित होता है ।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप आंशिक प्रमाणित होता है, के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत निदेशालय के पत्रांक–740 दिनांक–05.07.2021 द्वारा श्री सुनील कुमार प्रसाद से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री सुनील कुमार प्रसाद ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

(i) प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बछवाड़ा के पत्रांक–2439 दिनांक–30.10.2017 एवं अंचल अधिकारी, बछवाड़ा के पत्रांक–1061 दिनांक–01.11.2017 द्वारा प्राप्त अनुसूची की जाँच उनके द्वारा की गयी थी और उनके देख–रेख में ही इसे अन्य प्रखंडों से पाप्त अनुसूची के साथ आँकड़ा (अंचल स्तरीय फसल कटनी नियंत्रण पंजी में) श्री तारकेश्वर रजक, प्रभारी के द्वारा चढ़ाया गया था। पुनः नियमानुसार पत्र बनाकर (पत्रांक–214 दिनांक–07.12.2017) निदेशालय भेजे जाने वाले गार्ड फाईल में रखवा दिया गया ताकि निदेशालय डाक भेजा जा सके।

संभवतः उसी पत्र के अनुलग्नक में रखी गई अनुसूची बदलकर श्री तारकेश्वर रजक द्वारा दूसरी अनुसूची (कमतर वजनवाले) निदेशालय भेज दिया गया था जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गयी थी।

(ii) अनुसूची बदलकर उससे कमतर वजन की अनुसूची का आँकड़ा दूसरी पंजी में (जो पंचायत स्तरीय फसल कटनी नियत्रंण पंजी थी) श्री तारकेश्वर रजक द्वारा चढ़ा दी गई एवं इस दूसरी पंजी में इस्तेमाल की जानकारी उन्हें मामला उजागर होने पर मिली। दोनों नियंत्रण पंजी श्री तारकेश्वर रजक के कस्टडी में था। पूर्व के पंजी में उसके द्वारा ही ओभर राईटिंग एवं क्रास कर दिया गया।

मामला उजागर होते ही जिला योजना पदाधिकारी–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय के द्वारा सारी संचिकायें एवं पंजी कस्टडी में ले ली गई थी इसलिए उनके पत्र जो जिलाधिकारी या निदेशालय द्वारा भेजे गये उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। सभी पंजी एवं संचिका जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के विरमित होने के पश्चात जिला सांख्यिकी कार्यालय के स्थापना सहायक को प्राप्त हुआ। इसमें उनकी कोई गलत मंशा या लापरवाही नहीं थी।

(iii) जहाँ तक दूसरी अनुसूची का मामला है श्री तारकेश्वर रजक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "कतिपय कर्मियों के द्वारा दूसरी बार अनुसूची दी गयी तो उनके द्वारा उस कर्मी से कारणपृच्छा की जा सकती थी पर ऐसा नहीं किया गया एवं मूल अनुसूची को बदलकर दूसरी अनुसूची (कमतर वजन वाले) लगाकर निदेशालय भेजा गया, जिसकी जानकारी उन्हें अथवा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को नहीं दी गयी । ऐसा श्री तारकेश्वर रजक द्वारा जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है।

बछवाड़ा प्रखंड से दूसरी अनुसूची श्री तारकेश्वर रजक को उपलब्ध करायी गयी जिसपर प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में श्री मिथिलेश कुमार,प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर है। दूसरी अनुसूची किसने उपलब्ध करायी यह श्री तारकेश्वर रजक ही बता सकते हैं । जबकि पहली अनुसूची उनकी निगरानी में अंचल स्तरीय नियंत्रण पंजी में दर्ज हो चुकी थी।

(iv) श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,बछवाड़ा द्वारा दिनांक– 23.11.2017 को दूरभाष पर किसी प्रकार की सूचना उन्हें नहीं दी गयी थी। दिनांक–23.11.2017 से 25.11.2017 तक वे आकस्मिक अवकाश में थे और पटना के डा० जितेन्द्र नाथ सिंह के ईलाज में थे।

प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बछवाड़ा द्वारा जबरदस्ती दूसरी अनुसूची पर हस्ताक्षर कराने की घटना की जानकारी देने संबंधी बात तथ्यहीन एवं बेबुनियाद है। उन्होंने स्थानीय नियंत्री पदाधिकारी BDO एवं स्थानीय थाना में तत्काल इसकी सूचना नहीं दी तथा उनके द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भी सूचना नहीं दी गयी।

(v) पहली नियंत्रण पंजी में उनकी देख–रेख में उपज दर संधारित किया गया था। पहली पंजी में छेड़–छाड़, ओभर राईटिंग क्रास करने, दूसरी पंजी मे कमतर उपज अंकित करने एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्राप्त अनुसूची को निदेशालय नहीं भेजकर दूसरी अनुसूची निदेशालय भेजने का कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है।

कार्यालय में संधारित प्रथम पंजी (अंचल स्तरीय फसल कटनी नियंत्री पंजी) एवं दूसरी पंजी (पंचायत स्तरीय नियंत्रण पंजी) श्री तारकेश्वर रजक के कस्टडी में रहता था। फसल कटनी प्रयोग से संबंधित संचिका में कटिंग, ओभर राईटिंग करने तथा दूसरी पंजी संधारित करने का कार्य श्री तारकेश्वर रजक के द्वारा किया गया प्रतीत होता है। सही आँकड़े निदेशालय प्रेषित करने में उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही नहीं किया गया है।

श्री सुनील कुमार प्रसाद द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में दिया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री प्रसाद का मुख्य दायित्व फसल कटनी प्रयोग के आँकड़ों का सही–सही मिलान कर रजिस्टर आदि में संधारित करवाना तथा सही आँकड़े निदेशालय को प्रेषित करवाना था, किन्तु उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए वे पूर्णतः दोषी हैं।

अतः श्री सुनील कुमार प्रसाद के विरूद्ध आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उन पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत **संचयी प्रभाव के बिना दो वर्षो के लिए वेतनवृद्धियाँ रोकने की शास्ति** अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–25/2020 653 /पटना, दिनांक :– 13/04/2022

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

*निबंधित

*2. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*3. कोषागार पदाधिकारी, बेगुसराय/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. सहायक निदेशक, स्थापना/कृषि प्रशाखा, निदेशालय मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*7. श्री सुनील कुमार प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक